MR. CHAIRMAN: Fine; the hon. Minister will make a detailed statement on it.

47 **[The questioner was absent].**

Suggestions to reduce burden of school bags, etc.

*47. SHRIMATI AMBIKA SONI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether National Council of Educational Research and Training (NCERT) has been asked to prepare a report on the suggestions to reduce the burden of school bags, providing tablets in schools, flexible time table etc.;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether there is a proposal to divide books into two volumes so that the students could bring thinner books in school bags;

(d) whether RO water facility would also be suggested so that carrying water bag could be avoided; and

(e) by when the suggestions would be put into operation and at what class level, the details in this regard?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Government appreciates the demands for reducing the weight of school bags. Several initiatives have been taken in this regard and the Ministry is coordinating the efforts being made by different organizations/institutions in this regard. Some of the initiatives taken in this regard are as under:–

(i) The National Council of Educational Research and Training (NCERT) has recommended only two books (Language and Mathematics) for classes I & II and three books for Classes III to V (Language, Environmental Studies and Mathematics). NCERT has also made available all their textbooks for free access through the web *(ePathshala.nic.in)* and mobile devices.

(ii) The Central Board of Secondary Education (CBSE) has directed schools affiliated to it to ensure that students do not carry school bags till Class II. In its latest circular dated 12th September, 2016, it has advised all its affiliated

schools to take all possible measures to keep the weight of school bag under control.

(iii) Kendriya Vidyalaya Sangathan has taken up number of steps to promote digital learning in its Vidyalayas. To begin with, all the students of class VIII in 25 Kendriya Vidyalayas (One KV from each region) shall be provided with good quality Tablets on Pilot Basis. The students will use these Tablets as also their teachers for Mathematics and Science for enhancing their core skills in these subjects.

Besides, several State Governments have also taken commendable steps in this direction. For example, Maharashtra has started Digital schools and more than 50000 schools are being upgraded to digital education. It has compiled quality digital material on-line through a user-friendly mobile app MITRA.

(c) This and many other suggestions are under consideration of the Government. Tamil Nadu which has already introduced trimester system in all schools for classes I to VIII to reduce the load of books. This system ensures that the children need to carry only the books needed for the relevant term, which will substantially reduce the book load of children physically and also remove the psychological fear in the young minds.

(d) and (e) The Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009 specifies that the all-weather school buildings should have safe and adequate drinking water facility to all children. All States and Union Territories (UTs) have been directed to ensure that the provisions of the RTE Act, 2009 regarding drinking water is complied with and that all schools including those under the non-Government sector have the provision for safe and adequate drinking water facility for all children.

The State Governments and UT Administrations are supported for creation and augmentation of infrastructural facilities including construction of drinking water facilities in government primary and upper primary schools under Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) scheme. State Governments, UT Administrations and local authorities are free to install Reverse Osmosis (RO) machines in schools based on requirement, to ensure provision of safe and pure drinking water to the children. Various infrastructure facilities including drinking water facilities in existing and new government secondary schools are also provided under the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) scheme.

The CBSE has also issued directions to schools affiliated to it to ensure adequate supply of potable and safe drinking water for everybody and counsel students not to bring the heavy water bottle to schools.

MR. CHAIRMAN: Q.No. 47. The questioner is absent. Are there I supplementaries? Yes, Shri K. T. S.Tulsi.

SHRI K. T. S. TULSI: Sir, according to the written answer that is given, there seems to be a conflict between the opinion of NCERT and CBSE with regard to whether the children up to class-II will be permitted to go school without bags or not. The CBSE says that they should not be required to carry any school bags, and books should be available, either in digital form or otherwise, in the school itself; whereas, the NCERT, according to the written reply says that up to class II, there will be two books that will be carried. Is the Government going to resolve this conflict or not?

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री प्रकाश जावडेकर : सभापति जी, मूल सवाल है कि बस्ते का बोझ बच्चों पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, यह सबकी मांग होती है। सरकार इससे सहमत है, इसलिए हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी की डायरेक्शन और सीबीएसई की डायरेक्शन में इसलिए कोई अंतर निहित नहीं है, क्योंकि दोनों ही बोझ कम करने के प्रयास में लगे हैं। सीबीएसई केवल अपने स्कूलों के लिए कहती है, उनको आदेश देती है, जबकि एनसीईआरटी की गाइडलाइन्स सभी स्कूलों के लिए होती हैं। जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी ने एक सिफारिश यह की है कि पहली और दूसरी में केवल दो बुक्स रखेंगे, तीसरी से पांचवीं तक केवल तीन बुक्स रहेंगी। एनसीईआरटी ने ये किताबें उपलब्ध भी कराई हैं, जिनको यह सुविधा लेनी हैं, उनके लिए यह ई-फॉर्मेट में भी उपलब्ध हैं। सीबीएसई ने यह कहा है कि जल्दी में दूसरी कक्षा तक ज्यादा किताबें नहीं लगाई जाएं। अनेक राज्यों ने जो प्रयोग किए हैं, उनमें छत्तीसगढ़ में पिछले साल के students को किताबों का एक सैट दिया है। Students की बुक्स और नोटबुक्स स्कूल में ही रहती हैं और घर की सामग्री घर में रहती है, वे तो without बस्ते के आते हैं। They come without bags; they study in the schools; do the school work in those notebooks; go home and do their homework in the notebooks. So, every State कर रहा है। मैंने आज ही पढ़ा है, आज के न्यूज़पेपर में भी आया है, "तेलंगाना में बस्ते के बोझ से आज़ादी।" अधिकतम कितना बोझ हो, उन्होंने इसको भी बताया है। तमिलनाडु में क्लास सेमेस्टर किए गए हैं और हर चार महीने के लिए छोटी-छोटी एक किताब छापी है। सेमेस्टर, जैसे trimester का तरीका है, उससे किताबें कम हुई हैं। महाराष्ट्र में लगभग 30 हजार स्कूलों में डिज़िटल शिक्षा की व्यवस्था है, जिसमें दो हजार स्कूलों के बच्चों के हाथ में टैबलेट्स हैं। टैबलेट्स में सारी किताबें हैं, सभी नोटबुक्स हैं, वे लिखते भी हैं और सीखते भी हैं। इसके साथ-साथ एक बड़ी बात यह हो रही है कि 25 केंद्रीय विद्यालयों में इस साल आठवीं कक्षा के बच्चों को टैबलेट देकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हमारा पूरा प्रयास है कि बस्ते का बोझ कम हो और वे सही बोझ ले जाएं। इस बार हमने शिक्षण मंथन भी किया। 'Brainstorming on Education' at five places —Guwahati, Pune, Raipur, Benguluru and Chandigarh. गुवाहाटी, पुणे, रायपुर, बेंगलुरू और चंडीगढ़ में। इस में सभी स्टेकहोल्डर्स आए थे और सभी ने इस विषय पर विचार किया भी है। बहुत से नये-नये सॉल्यूशन्स भी साथ आ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि इस पर प्रदेश भी प्रयोग करे और राज्य सरकार भी प्रयोग करे और कुल बोझ कम हो, यह हमारा उद्देश्य है।

श्री शिव प्रताप शुक्लः माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में सी.बी.एस.ई. के विद्यालय हैं और सी.बी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त करके पब्लिक स्कूल का नाम देकर के अपना स्कूल चलाने का काम करते हैं। लेकिन पब्लिक स्कूल, अंग्रेजी स्कूल इस माध्यम से जिस प्रकार फीस वृद्धि करने का काम करते हैं, उससे आम आदमी के ऊपर जबर्दस्त बोझ पड़ रहा है। इतना ही नहीं, वे रि-शैड्यूल भी कर रहे हैं कि एक बार प्रवेश लेने के बाद दोबारा भी वह पूरे तौर पर फीस लेकर, उसके बाद एडमिशन देते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पूरे देश में इन पब्लिक स्कूलों में, जो सी.बी.एस.ई. से, आई.सी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त हैं, उनकी फीस में एकरूपता लाने का काम सरकार करेगी?

श्री प्रकाश जावडेकरः महोदय, जहां तक 15 लाख सरकारी स्कूल हैं, वहां कोई फीस पहली से आठवीं तक चार्ज नहीं होती है। जहां तक सी.बी.एस.ई. के स्कूल हैं, वे 18 हजार हैं, वे निजी स्कूल हैं और उसमें फीस ली जाती है। उसके बारे में विविध राज्यों ने अपने-अपने नियम बनाए हैं, लेकिन हमारी भी इच्छा यही है कि स्कूल फीस के बारे में पूरी पारदर्शिता हो। वरना, There should be no hidden costs. जो भी सारे शुल्क आपको लेने हैं फीस और बाकी शुल्क, वे सभी पेरेंट्स को पहले दिन मालूम होने चाहिए और हर साल कितनी फीस की बढ़त होगी, यह भी उनको मालूम होना चाहिए और वह बढ़त महंगाई दर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यह ऐसी कुछ गाइडलाइंस हमारी हैं कि जिनके तहत वे फीस चार्ज करते हैं। लेकिन अलग-अलग राज्यों का भी अधिकार है। तो हर राज्य ने भी अपने-अपने नियम बनाए हैं।

श्री राजीव शुक्लः सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने यह कहा कि किताबों का बोझ खत्म करके उनको टैबलेट दिए जाएंगे। लेकिन यह तो सिर्फ महानगरों में सम्भव है, नीचे जो गांवों के स्कूल हैं, जो छोटे कस्बों के स्कूल हैं, इस तरह के तमाम स्कूल हैं, इनके लिए बजट में क्या प्रावधान किया है? इनको मुफ्त में दिए जाएंगे या सब्सिडाइज्ड दिए जाएंगे? एक और चीज़ है कि आप बस्ते का बोझ तो कम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्कूल्स की टाइमिंग हैं, सुबह पांच बजे से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं, यह 6-7 बजे की जो टाइमिंग है, इसे छोटे बच्चों के लिए 9 बजे क्यों नहीं करते? जाड़ों में तो बच्चों के लिए भयानक समस्या होती है कि वे 6 बजे ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचते हैं। इसलिए नॉर्थ इंडिया में तो कम-से-कम यह प्रोविज़न हो सकता है कि आप स्कूल्स की टाइमिंग बदलें, जो 9 बजे से हो - छोटे बच्चों के स्कूल 9 बजे से किए जाएं।

श्री प्रकाश जावडेकर : जहां तक टैब्स का संबंध है, जैसे मैंने कहा - राजीव जी भी महाराष्ट्र से सांसद हैं - महाराष्ट्र में एक प्राइमरी टीचर ने एक आंदोलन शुरू किया कि बच्चों को टैबलेट देंगे - समाज ही दे रहा है और 600 करोड़ से ज्यादा रुपए समाज ने contribute करके दिए। हमारे यहां तीन हज़ार रुपये में टैब आता है, वहां पर digital class भी है, टैब भी है। आपको आश्चर्य होगा, ट्राइबल इलाकों में, छोटी-छोटी झुग्गी-झोंपड़ियों में जो स्कूल्स हैं, वहां भी बच्चे आज उसे यूज़ कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स दे रहे हैं। एक राज्य में समाज ने 600 करोड़ रुपए इस digital education के लिए खुद आगे आकर दिए हैं, यह बहुत अच्छा उदाहरण है।

श्री राजीव शुक्लः वह तो समाज ने दिए हैं, सरकार ने क्या किया है? ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रकाश जावडेकरः एक मिनट, मैं बता रहा हूं।

श्री सभापतिः आप सुन लीजिए।

श्री प्रकाश जावडेकरः जो अच्छा है, उसे मानना चाहिए। आप भी उसी राज्य से हैं, मैं भी उसी राज्य का हूं, एक अच्छी चीज़ वहां हो रही है। दूसरा, जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों का संबंध है, वहां यह सरकार दे रही है। तीसरा, हर जगह टैब देना, केवल यही कार्यक्रम नहीं है - यह पायलेट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है - लेकिन बोझ कम करने का भी कार्यक्रम है। जहां तक टाइमिंग के बारे में आपने पूछा है, this is a suggestion for action.

Jawahar Navodaya Vidyalayas for BPL families

*48. SHRI SHANKARBHAI N. VEGAD: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government proposes to open Jawahar Navodaya Vidyalayas only for Below Poverty Line (BPL) families; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI UPENDRA KUSHWAHA): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Navodaya Vidyalaya scheme envisages setting up of one Jawahar Navodaya Vidyalaya (JNV) in each district of the country, with the objective of providing good quality modern education to the talented children predominantly from rural areas without regard to their family's socio-economic condition. As such, there is no provision for opening of JNVs only for Below Poverty Line families.

(b) Does not arise.

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रावधान सरकार ने पहले से ही किया है। जवाहर नवोदय विद्यालय में admission पाने के लिए जो प्रवेश परीक्षा ली जाती है, वह इतनी अटपटी होती है कि एक सामान्य परिवार का लड़का होशियार होने के बावजूद भी उस परीक्षा को पास नहीं कर पाता है क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्यूशन क्लास चलती है और जो सम्पन्न परिवार का लड़का होता है, वह वहां पर पैसे देकर ट्यूशन लेने के बाद उस परीक्षा में पास हो जाता है और विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार का बच्चा वहां नहीं पढ़ पाता है और उसे यह लाभ नहीं मिल पाता है। तो क्या सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान किया है कि गरीब परिवार के बच्चे को भी वह लाभ मिले?